51

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी R741-PBR/17

श्री लाखन धाकड़ .... द्वारा आज दि. 27.2.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 27.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जयवीर सिंह परमार पुत्र श्री कुवंरजीत सिंह निवासी– रतन पब्लिक स्कूल आरोन, जिला गुना (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1– श्रीमेहंत ओमकारदास गुरू स्वं श्री रामनरेशदास जी महाराज निवासी– सनकादिक आश्रम आरोन जिला गुना म.प्र.

2– म.प्र.शासन द्वारा पटवारी ग्राम आरोन तहसील आरोन जिला गुना ....अनावेदकगण

2.2.2017
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय आरोन, जिला गुना के क्रमांक 4/अ–70 /16–17 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

अम्बरसिंह/ओमकारसिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 741–पीबीआर/2017 **जिला गुना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.3.2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–1–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि आवेदक को तहसीलदार के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है और वे साक्ष्य से प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया जाना प्रमाणित कर सकते हैं । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	